

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

Web Site: www.vbspu.ac.in



Email ID: fovbspu2015@gmail.com

पत्रांक-वि0अधि0/3310/ 2025

दिनांक-23/04/ 2025

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की वित्त समिति की बैठक दिनांक-16.4.2025 को विश्वसविद्यालय अतिथि गृह में संपन्न हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	प्रो० वन्दना सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2	श्री गोविन्द सिंह(प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव, सदस्य वित्त, अपर निदेशक, कोषागार) उ०प्र० शासन, लखनऊ	सदस्य
3	डा० ज्ञान प्रकाश वर्मा, (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा) क्षेत्रिय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० शासन लखनऊ वाराणसी।	सदस्य
4	प्रो०जे०एन० मिश्रा, नामित सदस्य	सदस्य
5	श्री महेन्द्र कुमार, कुलसचिव	सदस्य
6	डा० विनोद कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
7	पूर्णन्दु शुक्ला, वित्त अधिकारी	सदस्य/सचिव

वित्त समिति की बैठक दिनांक-16 अप्रैल-2025 की कार्यवृत्त

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व मा० कुलपति महोदया द्वारा स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई :-

प्रस्ताव संख्या-1, दिनांक-07.12.2024 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के बैठक की कार्यवाही की अनुपालन आख्या समिति के समक्ष संज्ञानार्थ।

निर्णय- दिनांक-07.12.2024 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के बैठक की कार्यवाही की अनुपालन आख्या से समिति संज्ञानित हुई।

प्रस्ताव संख्या-2, दिनांक-07.12.2024 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त के पुष्टि पर विचार-

निर्णय- दिनांक-07.12.2024 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या-3, वित्तीय वर्ष-2023-24 का वास्तविक आय-व्ययक, 2024-25 का संशोधित आय-व्ययक एवं 2025-26 का अनुमानित आय-व्ययक (बजट) पर सहमति/अनुमोदन पर विचार-

निर्णय- वित्तीय वर्ष-2023-24 का वास्तविक आय-व्ययक, 2024-25 का संशोधित आय-व्ययक एवं 2025-26 का अनुमानित आय-व्ययक (बजट) पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-4, फार्मसी संस्थान के बजट में दो नये मद खोले जाने पर विचार। मद संख्या-4919 अतिथि प्रवक्ता आवंटित बजट रू0 15 लाख एवं मद सं0-4920 एरियर रू0 05 लाख। प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय- समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि फार्मसी संस्थान में नये मद खोले जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में पहले से ही बजट उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रस्ताव संख्या-5, दत्तोपंत ठेगड़ी विधि संस्थान में सत्र 2025-26 हेतु नये मद संख्या को बजट में जोड़े जाने पर विचार।

निर्णय- दत्तोपंत ठेगड़ी विधि संस्थान में सत्र 2025-26 हेतु नया मद खोला जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। इस मद में पहले से ही बजट उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रस्ताव संख्या-6, रज्जू भईया संस्थान में कॉशनमनी एवं शुल्क वापसी पर विचार। नया मद काशनमनी/शुल्क वापसी-5612 आवंटित धनराशि रू0 01 लाख।

निर्णय- समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छात्रों का कॉशनमनी एवं शुल्क वापसी नियमानुसार होती रहेंगी।

प्रस्ताव संख्या-7, परीक्षा व्यवस्था में वित्त समिति की बैठक दिनांक-19.11.2011 के प्रस्ताव सं0-15, दिनांक-04.01.2016 प्रस्ताव सं0-6, दिनांक-06.08.2019 प्रस्ताव सं0-12 के केन्द्रीय मूल्यांकन में परीक्षा कार्य हेतु कार्यरत कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिये जाने हेतु विचार।

निर्णय- उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय मूल्यांकन में परीक्षा कार्य हेतु कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में तीन सदस्यीय समिति गठित की जाय एवं समिति कई विश्वविद्यालयों में देय पारिश्रमिक धनराशि का परीक्षण करते हुए अपनी संस्तुतियां मा0 कुलपति माहोदय को प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव संख्या-8, रज्जू भईया संस्थान में संचालित परास्नातक पाठ्यक्रमों की शुल्क (2023-26) पर विचार।

निर्णय- दिनांक 07 दिसम्बर, 2024 को आयोजित वित्त समिति के बैठक के निर्णय संख्या-08 पर रज्जू भईया संस्थान में संचालित परास्नातक पाठ्यक्रमों की शुल्क वृद्धि के निर्णय पर पुनर्विचार किया गया जिसमें पूर्व में निर्धारित शुल्क रू0 21,000.00 से 34,000.00 किये जाने के प्रस्ताव को अनुचित पाया गया, क्योंकि वर्तमान में छात्रों की संख्या उक्त विभागों में बहुत कम है। छात्रों की संख्या के दृष्टिगत पूर्व निर्धारित शुल्क को तबतक यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया जब तक उक्त विषय पर समिति की आख्या प्राप्त न हो जाय।

प्रस्ताव संख्या-9, बजट बनाने संबंधी कर्मचारियों के पारिश्रमिक दिये जाने पर विचार-

निर्णय- बजट बनाने सम्बन्धित कार्यहेतु कर्मचारियों के पारिश्रमिक दिये जाने पर वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालय में उक्त कार्य हेतु देय पारिश्रमिक के अनुसार कार्यवाही की जाय।



अध्यक्ष महोदया के अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार—

प्रस्ताव संख्या-1 विश्वविद्यालय कैपस में नये कोर्सेज खोले जाने हेतु विचार।

निर्णय— (क). विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 18 मार्च 2025 के कार्यसूची संख्या 04 पर लिये गये निर्णय (विश्वविद्यालय कैपस में स्नातोत्तर स्तर पर फूड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 से प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी) पर उक्त पाठ्यक्रम में वार्षिक शुल्क रु0 38,650/- (रु0 अड़तिस हजार छः सौ पचास मात्र) लिये जाने का निर्णय लिया गया। शुल्क की संरचना निम्नवत है—

क्र०	मद	शुल्क का विवरण
1.	शिक्षण शुल्क	36,000.00
2	परीक्षा शुल्क	2000.00
3	नामांकन शुल्क (विश्वविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश पर देय होगा)	200.00
4	खेल-कूद	150.00
5	छात्र कल्याण	100.00
6	उपाधि शुल्क (अन्तिम वर्ष में देय होगा)	200.00
	योग	38,650.00 वार्षिक

उक्त पाठ्यक्रम में अध्ययन/अध्यापन का कार्य अतिथि प्रवक्ताओं से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ख) दत्तोपंत ठेगड़ी विधि संस्थान में एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम खोले जाने सम्बन्धी विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 18 मार्च 2025 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार के कार्यसूची संख्या 02 पर लिये गये निर्णय के आलोक में एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी जो निम्नवत है

क्र०	मद	शुल्क का विवरण
1.	शिक्षण शुल्क	57,350.00
2	परीक्षा शुल्क	2,000.00
3	नामांकन शुल्क (विश्वविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश पर देय होगा)	200.00
4	खेल-कूद	150.00
5	छात्र कल्याण	100.00
6.	उपाधि शुल्क (अन्तिम वर्ष में देय होगा)	200.00
	योग—	60,000.00

उक्त पाठ्यक्रम का अध्यापन वर्तमान में तैनात फैकल्टी द्वारा किया जायेगा।

(ग) विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 18 मार्च 2025 के कार्यसूची संख्या 08 पर लिये गये निर्णय के आलोक में एक वर्षीय वैदिक ज्योतिष डिप्लोमा पाठ्यक्रम, वास्तुशास्त्र डिप्लोमा तथा कर्मकाण्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय कैम्पस में संचालन किये जाने की समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी, जिसका शुल्क संरचना निम्नवत् है —



क्र०	पाठ्यक्रम का नाम	शुल्क का विवरण
1.	एक वर्षीय वैदिक ज्योतिष डिप्लोमा पाठ्यक्रम,	10,000.00
2	एक वर्षीय वास्तुशास्त्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम	10,000.00
3	एक वर्षीय कर्मकाण्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रम	10,000.00

उक्त पाठ्यक्रम का अध्यापन अतिथि प्रवक्ताओं द्वारा किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या-2 दत्तोपंत ठेगड़ी विधि संस्थान में यू0जी0सी0 वेतनमान का प्रस्ताव रखे जाने के संबंध में विचार।

निर्णय- संविदा शिक्षकों को यू0जी0सी0 वेतनमान के प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, जो आर्थिक लाभ में हैं उन विभागों के शिक्षकों को शासनादेशानुसार कुल आय का 75 प्रतिशत व्यय करने तथा हानि में चल रहे पाठ्यक्रमों को बन्द करने एवं लाभ-हानि में चल रहे विभागों के खातों के पूलिंग की व्यवस्था को समाप्त करने एवं अन्य बिन्दुओं पर नियमानुसार विचार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या-3 Proposal Budget for FY 2025-26 हेतु विचार।

निर्णय- प्लेसमेंट सेल इंक्यूबेशन सेन्टर हेतु बजट की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व में किये गये बजट प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाय।

प्रस्ताव संख्या-4 Incentive Policies for Faculty Members for Reserch and Innovation के संबंध में विचार।

निर्णय - Incentive Policies for Faculty Members for Reserch and Innovation सम्बन्धी प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी जो निम्नवत है :-

Incentive Structure for publication -

Serial No.	Impact Factor	Incentive
i	Research paper with impact factor $5 \leq IF \leq 10$	Rs. 5,000.00
ii	Research paper with impact factor $10 < IF \leq 15$	Rs. 10,000.00
ii	Research paper with impact factor $15 < IF \leq 20$	Rs. 15,000.00
iv	Research paper with impact factor > 20	Rs. 30,000.00

. Incentive Structure for project -

Serial No.	Project Grant	Incentive
i	R & D Project with funding 10 to 20 Lakh	Rs. 10,000.00
ii	R & D Project with funding > 20 to 30 Lakh	Rs. 15,000.00
ii	R & D Project with funding > 30 Lakh	Rs. 25,000.00

. Faculty member's will receive Rs. 5,000.00 for each granted patent as a token of appreciation and motivation.

उक्त धनराशि पेटेन्ट सेल के माध्यम से देय होगी।

प्रस्ताव संख्या-5 DST-PURSE परियोजना (NANO-SHE) हेतु 01- Laboratory Assistant एवं 01-Scientific Administrative Assistant (Temporaty & Coterminous with project) को नियुक्त करने पर विचार।

निर्णय- DST-PURSE परियोजना (NANO-SHE) हेतु 01- Laboratory Assistant एवं 01-Scientific Administrative Assistant (Temporaty & Coterminous with project) का नियुक्ति करने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी तथा प्रोजेक्ट की समाप्ति पर उक्त पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे। देय पारिश्रमिक निम्नवत होगा :-

Serial No.	पद	देय धनराशि (चार वर्ष हेतु)
i	Laboratory Assistant (Rs. 19,440.00 Per Month)	Rs. 10,75,680.00
ii	Scientific Administrative Assistant (Rs. 21,600.00 Per Month)	Rs. 9,33,120.00

प्रस्ताव संख्या-6 संविदा/मानदेय वेतन वृद्धि के संबंध में विचार।

निर्णय- संविदा/मानदेय वेतन वृद्धि के संबंध में वित्त समिति द्वारा समस्त संविदा/मानदेय कर्मचारियों को विगत तीन वर्षों से वेतनवृद्धि नहीं किये जाने के दृष्टिगत वर्तमान देय वेतन/मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि अगले तीन वर्ष तक इनके वेतन में कोई वृद्धि इस प्रकार से नहीं की जायेगी। उक्त वृद्धि की देय धनराशि 01 मई, 2025 से लागू होगी। श्री अनिल कुमार मौर्य के सम्बन्ध में प्रोजेक्ट ओवर हेड में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर मानदेय रू0 25,000.00 देय होगा।

प्रस्ताव संख्या-7 भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट के प्रावधान के संबंध में विचार।


निर्णय- भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट के प्रावधान के संबंध में रू0 5,00,000/- (रू0 पाँच लाख मात्र) प्रदान किये जाने हेतु वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।


प्रस्ताव संख्या-8 छात्रावास शुल्क वृद्धि के संबंध में सामूहिक शिकायत पर विचार।

निर्णय- छात्रावास शुल्क वृद्धि के संबंध में पूर्व में निर्धारित छात्रावास शुल्क को यथावत रखे जाने की समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या-9 मा० अध्यक्ष महोदया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें अंशकालिक पी-एच०डी० शुल्क रू० 1,50,000/- को कम किये जाने पर विचार।

निर्णय - अंशकालिक पी-एच०डी० शुल्क रू० 1,50,000/- (रू० एक लाख पचास हजार मात्र) को कम किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया की आन्तरिक स्तर पर रू० 60,000/- (रू० साठ हजार मात्र) शुल्क देय होगा, जिसमें विश्वविद्यालय परिक्षेत्र (सम्बद्ध महाविद्यालय) में शोधरत उच्च शिक्षा में सेवारत नियमित शिक्षक शामिल होंगे।


(पूर्णन्दु शुक्ल)
वित्त अधि०/सचिव


(प्रो० वंदना सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष